महत्वपूर्ण

संख्याः-09/2026/सा0-85/अड़तीस-7-2026/38-9099(99)/32/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊः 28 अप्रैल, 2026**

विषयः-'जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति' का नाम परिवर्तित कर 'दृष्टि' (DRISHTI) किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-32/2025/सा0-126/अड़तीस-9-2025/38-9099(99)/32/2023 दिनांक 01-07-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 'जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति' का गठन एवं बैठके आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 'जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति' का नाम **'दृष्टि' (DRISHTI) (District Review & Inspection for Sustainable Tracking & Implementation)** किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 01.07.2025 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्याः-09(1)/2026/सा0-85/अड़तीस-7-2026/38-9099(99)/32/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7- ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

योगेश चन्द्र दीक्षित
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।